



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-10032026-270808
CG-UP-E-10032026-270808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1158]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1158]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

झांसी, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 1210(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वाँ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5109, दिनांक 19 नवम्बर 2025 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय [उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)] की अधिसूचना संख्या- का.आ. 5280 (अ), दिनांक 18 नवम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “झाँसी-बीना तृतीय लाइन” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क के उपधारा (4) के अधिन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक जागरण एवं अमर उजाला” में दिनांक 22 नवम्बर 2025 को प्रकाशित किया गया था;

जिसमें कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए, तदनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं,

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; और यह की केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “झाँसी-बीना तृतीय लाइन” के लिए सागर जिले के बीना तहसील अन्तर्गत **मौजा बेलई** में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	खसरा संख्या	कुल रकबा हे०	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भू-स्वामी /वाल्दियत का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7
1	16/2	2.0000	0.7724	निजी	सिंचित	त्रिलोचन सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह
योग		2.0000	0.7724			

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी.(लैंड)/1/2024-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./ सी -II जे. एच. एस. (कम्प्युटर क्र.108242)]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 23rd February, 2026

S.O. 1210(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the ministry of Railways (North Central Railway, Construction Department), Notification Number S.O. 528(E), dated the 18 November 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification Number 5109, dated the 19 November 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11th of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely “Jhansi-Bina Third Line” in the District of Sagar in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Dainik Jagran & Amar Ujala” dated 22 November 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act

And whereas, No objection was received and the same has been considered by the Competent authority accordingly order has been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “Jhansi-Bina Third Line” in Village Belai under Bina Tehsil of Sagar District in the state of Madhya Pradesh.

Sl. No.	Khasara No.	Total Area in Hect.	Acquisition Area in Hect.	Type of Land	Nature of Land	Name & Address of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7
1	16/2	2.0000	0.7724	Pvt	irrigated	Trilochan Singh S/o Jogindar Singh.
Total		2.0000	0.7724			

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/1/2024-O/o Dy.CE/C-II/JHS (Computer No. 108242)]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Construction)